भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3706

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2021

भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को रोजगार

3706 श्री राहुल कस्वां :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति बेरोजगार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने और उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे लोगों को प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रदान करने के लिए सहयोग और सहायता प्र दान करने के लिए किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण भारत में 38% दिव्यांगजन कार्य कर रहे हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में 34% लोग काम कर रहे हैं।

(ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)' लागू करता है, जिसका शुभारंभ मार्च, 2015 में किया किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानदंडों के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएपी को समग्र (अम्ब्रेला) योजना – 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)' के तहत लागू किया गया है। इस

योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को लाभकारी वेतन/स्वरोजगार प्राप्त करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्हें समाज के आत्मनिर्भर और उपयोगी सदस्य बनने में सक्षम बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। एनएपी के तहत, दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देने के लिए, विभाग के साथ सूचीबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और विभाग के तत्वावधान में नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) जैसे संगठनों को भी सीधे निधियों जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ): योजना की पहुंच का विस्तार करने और प्रशिक्षण के बाद रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, 02.12.2020 को फूड इंडस्ट्री केपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव [खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई)] के साथ एक संगम ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एफआईसीएसआई के साथ हस्ताक्षरित संगम ज्ञापन (एमओए) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. केवल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित (एलाइन्ड) पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण।

ii. एफआईसीएसआई द्वारा अपनी पैनलबद्ध एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन।

iii. वित्तीय निहितार्थ और सामान्य मानकों में निर्धारित प्रावधानों और दर के अनुसार सभी भुगतान (पे-आउट)।

iv. कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन (स्मार्ट) प्लेटफॉर्म या सेक्टर काउंसिल के तहत मान्यता प्राप्त केंद्रों पर ही प्रशिक्षण का संचालन।

v. सफलतापूर्वक उत्तीर्ण प्रशिक्षु की नियुक्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान।

*****